न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

Ju2017-225RTA059

1. बंशीलाल पुत्र प्रभुराम मेघवाल
2. सायरराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल
3. सुराराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल
4. पदमाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल
5. देवाराम पुत्र गोकाराम मेघवाल
6. शांति पुत्री गोकाराम मेघवाल
7. धुडी पत्नी गोकाराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम रोहिचाकलां
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. किसनाराम पुत्र लुम्बाराम विश्नोई
2. भीकाराम पुत्र वीरमराम विश्नोई
3. चेनाराम पुत्र हुकमाराम विश्नोई
4. करणाराम पुत्र कास्बराम विश्नोई
5. बाबूलाल पुत्र गोलाराम विश्नोई
6. कोजाराम पुत्र धन्नाराम विश्नोई
7. जोगाराम पुत्र बुद्धाराम विश्नोई
8. मांगीलाल पुत्र चिमनाराम विश्नोई
   निवासीगण जांगुवास भाचरना,
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी कैम्प कोर्ट भाचरणा दिनांक 29 मई 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 20/2016 किशनराम व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत
रेस्पो. संख्या 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्तूबर, 2019

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट भाचरणा) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2016 किशनराम व अन्य बनाम बंशीलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 29 मई 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 जून 2017 को पेश की है। उक्त अपील दिनांक 07 जून 2017 को आगामी तारीख पेशी तक स्थगन आदेश जारी करते हुए दर्ज की गयी, तब से आदिनांक तक बारम्बार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने हेतु सामान्य पत्रों के अलावा अर्द्धशासकीय पत्र भी लिखे गये, मगर आदिनांक तक न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित पत्रावली भिजवायी गयी और न ही इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब ही प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रकरण आवागमन हेतु रास्ते से संबंधित है, अतः उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से आलौच्य अपील का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अभाव में ही उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर किया जा रहा है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी, अपीलाण्ट्स की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 148 वाके मौजा जांगुवास के अन्दर से सार्वजनिक सडक खसरा संख्या 391/361 के चिपते हुए स्थित है और इस कारण उन्हें अलग से रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपीलाण्ट्स अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार है और पूर्व में भाण्डु से धुन्धाडा आवागमन सडक का

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

निर्माण किया गया, तब अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खसरा संख्या 361 की 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि सडक-निर्माण हेतु प्रयुक्त की गयी थी, जिसका मुआवजा भी अपीलाण्ट्स को नहीं दिया गया। अब रेस्पो. के कहे अनुसार अपीलाण्ट्स के खसरा संख्या 361/1 का अस्तित्व समाप्त करने की कार्यवाही की गयी है, जो सरासर अन्याय है। अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने पर अपीलाण्ट्स की ओर से उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2017 बाबत लिखित आपत्ति पेश की गयी थी, मगर उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया, इतना ही नहीं, दिनांक 10 मई 2017 की कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गयी और मनमर्जी से बिना कोई विधिवत सूचना दिये प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखते हुए दिनांक 29 मई 2017 को अपीलाण्ट्स को बिना सुने निर्णित बता दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मई 2017 अपास्त किया जावे।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक से आठ के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि मौके पर रेस्पो. की खातेदारी के खसरा संख्या 148 तक आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर, नियमानुसार रिपोर्ट तलब करने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मीमो एवं अपील के गुणावगुण पर की गयी बहस में दृढतापूर्वक कथन किया गया है कि रेस्पो. -प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 148 वाके मौजा जांगुवास के अन्दर से सार्वजनिक सडक खसरा संख्या 391/361 के चिपते हुए स्थित है और इस कारण उन्हें अलग से रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट्स की ओर से यह भी अभिकथन किया गया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2017 बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से लिखित आपत्ति पेश की गयी थी, मगर उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया, और न ही दिनांक 10 मई 2017 की कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गयी, विधिवत सूचना दिये बिना प्रकरण लोक अदालत शिविर में रखा गया तथा दिनांक 29 मई 2017 को अपीलाण्ट्स को बिना सुने निर्णित बता दिया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा के समक्ष अपील 07 जून 2017 को पेश होने पर दर्ज की गयी और तब से निरन्तर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी हेतु कई बार अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुई, जो कतई शोभनीय नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मई 2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि निर्णय पारित किये जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि में उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर, खसरा संख्या 148, 391/361 तथा 361/1 व इनके चिपते अन्य खसरा की बाबत राजस्व नक्शे तथा राजस्व रिकार्ड की नकलें व पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गयी मौका रिपोर्ट पत्रावली पर लेते हुए मौके की वस्तुस्थिति सुनिश्चित की जावे और यदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी के खसरा संख्या 148 तक आवागमन हेतु मौके पर (पूर्वी माठ) गैरमुमकिन रास्ता उपलब्धता की जॉच कर न्यूनतम एवं अत्याधिक आवश्यकता के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए ही रास्ता बाबत गुणावगुण पर दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई के बाद तीन माह की अवधि में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 अक्तूबर 2019 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/19

(नखतदान बाहरठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर